

# भारतीय रिज़र्व बैंक

पर्यवेक्षण विभाग  
चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय

**RESERVE BANK OF INDIA**  
DEPARTMENT OF SUPERVISION  
CHENNAI REGIONAL OFFICE



## पंजीकरण प्रमाण पत्र

### **CERTIFICATE OF REGISTRATION**

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)  
(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या  
No. **B-07.00141**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जेएमजे फिनटेक लिमिटेड** को  
(पूर्व में मिनाक्षी एन्टरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से ज्ञात)  
दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

## पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

**JMJ Fintech Limited**  
(formerly known as Meenakshi Enterprises Limited)  
is hereby granted

### **Certificate of Registration**

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन

में सितम्बर दो हजार बाईस की सात तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at चेन्नै कार्यालय / Chennai Office

this Seventh day of September Two Thousand Twenty Two

(In lieu of earlier CoR No. 07.00141 dated 09/03/1998)



डी. सतीश कुमार / D. Sathish Kumar  
महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक  
General Manager / Deputy General Manager